<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240217 CG-DL-E-11112022-240217

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

No. 573]

### भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

# (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-63/2014-डीडी/172/2014-डीसी/790/2018 और पीआर-267/2016-डीडी/292/2016-डीसी/ 1384/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474), सी एस चौहान एंड एसोसिएट्स, फ्लैट नंबर ए 703, श्रीनिकेतन अपार्टमेंट, श्याम करण रोड, हैदराबाद (तेलंगाना) 500007 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) (मामला सं. पीआर-63/2014-डीडी/172/2014-डीसी/790/2018 में) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (4), (6), (7) और (8) तथा भाग 2 की मद (1) तथा पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) (मामला सं. पीआर-267/2016-डीडी/292/2016- डीसी /1384/2020 में) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474) के नाम को पहले मामले में 01 (एक) वर्ष की अविध के लिए हटाए जाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है तथा दूसरे मामले में उसके नाम को 02 (दो) वर्ष की अविध के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाए जाने का आदेश दिया और साथ ही केवल 25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया। अनुशासनात्मक सिनित ने यह भी आदेश दिया कि यदि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय अर्थात् 3 मास के

7506 GI/2022 (1)

भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है उस दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अविध के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त दोनों मामलों में सजा एक साथ चलेगी। चूंिक, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पिठत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. चंदन सिंह चौहान (सदस्यता संख्या 401474) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष और अतिरिक्त 02 (दो) मास की समेकित अविध के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./396/2022-23]

#### THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2022

#### (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-63/2014-DD/172/2014-DC/790/2018 and PR-267/2016-DD/292/2016-DC/1384/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474), C S Chauhan And Associates, Flat No. A703, Sriniketan Apartment, Shyam Karan Road, HYDERABAD (Telangana) 500007, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule( in case no. PR-63/2014-DD/172/2014-DC/790/2018 ) and Items (4),(6),(7) and (8) of Part I and Item (1) of Part II of Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule (in case no. PR-267/2016-DD/292/2016-DC/1384/2020), to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474) from the Register of Members for a period of 01(One) year alongwith a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only in respect of the first case and removal for a period of 02(two) years along with a fine of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand) only in respect of the second case. The Disciplinary Committee also ordered that if the Respondent fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 3 months in the said cases, his name should be removed from the Register of Members for a further period of 01(one) month for each such said case and that the said punishments shall run concurrently in both the aforesaid cases. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated in both cases, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said CA. Chandan Singh Chauhan (Membership No. 401474), shall stand removed for a consolidated period of 02(Two) years plus additional 02(Two) months from the Register of Members with effect from 11th November, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./396/2022-23]